झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 02 वर्ष 2022

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री फूलचंद महतो एवं अन्य, जमुआ, गिरिडीह

बनाम

प्रतिवादी 1. DSO, गिरिडीह । 2. BSO, जमुआ । 3. PDS विक्रेता ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	शिकायतकर्त्ता श्री फूलचंद महतो एवं अन्य का शिकायत पत्र वाट्सऐप नं0–9934323297 से आयोग द्वारा जारी किये गए वाट्सऐप नं0 पर प्राप्त हुआ। जिसमें शिकायतकर्त्ताओं द्वारा ग्राम–भानोडीह, पो0–चरघरा, पं0–जरीडीह, प्रखण्ड–जमुआ, गिरिडीह के जनवितरण प्रणाली विक्रेता, माता महिला समिति स्वयं सहायता समूह, भानोडीह, अनुज्ञप्ति सं0–01 / 2012 द्वारा अनियमितता बरते जाने संबंधी निम्न मुख्य आरोप लगाए गए:– 1. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत् मिलने वाले अनाज का वितरण नहीं किया जाना एवं गबन कर लिया जाना । 2. प्रति माह एक रूपये प्रति कि0ग्रा0 की दर से मिलने वाले राशन की मात्रा प्रति यूनिट के हिसाब से 1/2 कि0ग्रा0 कम राशन दिया जाना। 3. विरोध करने पर राशन वितरक द्वारा धमकी दिया जाना, आदि। इस प्रकार जनवितरण प्रणाली विक्रेता के विरूद्ध उपरोक्त लगाए गए आरोप काफी गंभीर हैं। अतः प्रस्तुत मामले को गंभीरता से लेते हुए आयोग द्वारा इस पर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–08.02.2022 को निर्धारित की जाती है। सुनवाई के दौरान आयोग के न्यायालय कक्ष में संबंधित जनवितरण प्रणाली विक्रेता के साथ उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, जमुआ को नोटिस निर्गत किया जाय। शिकायतकर्त्ताओं को भी सूचित किया जाय की वे सुनवाई के दौरान वाट्सऐप विडियो कॉल में उपलब्ध रहेंगे। Ranjana 27/01/2022	

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No.-0651225226 /2252261

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
08.02.2022	DSO, BSO एवं PDS विक्रेता अनुपस्थित। अपीलकर्ताओं से 9934323297 पर टेलीफोनिक बात हुई एवं सुनवाई की तिथि 23.02.2022 को zoom meeting/ Pragya केन्द्र के माध्यम से रखी जाती है। DSO, BSO, व PDS विक्रेता को नोटिस करें। [signature] 8.02.2022 पुनःश्च प्रभारी BSO राजकुमार [illegible], एवं माता महिला समिति (PDS डीलर) की ओर से ज्योति देवी (अध्यक्ष) उपस्थित हुई। प्रभारी BSO को निर्देश दिया गया कि वे स्थल जाकर अपीलकर्ताओं/ शिकायतकर्ताओं से एवं [illegible] के आलोक में जाँच कर कार्रवाई प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर आयोग को आयोग के मेल एवं whatsapp पर उपलब्ध करावें। सुनवाई हेतु अपीलकर्ताओं एवं PDS डीलर को online माध्यम से जोड़ा जाए। सुनवाई की अगली तिथि 23.02.2022 को निर्धारित की जाती है। नोटिस करें। DSO स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हों। [signature] 8.2.2022	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आज दिनांक–23.02.2022 को केस संख्या–02/2022 की सुनवाई की गई।

प्रथम पक्ष कि ओर से श्री फूलचंद महतो अनुपस्थित थे। उनकी पत्नी एवं अन्य 37 शिकायतकर्त्ता ग्राम–भोनाडीह, पो0–चरघरा, पं0–जरीडीह, प्रखण्ड–जमुआ, गिरिडीह ऑनलाइन व्हाटसएट्प विडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित हुए।

द्वितीय पक्ष से श्रीमती प्यासी देवी, जनवितरण प्रणाली विक्रेता, माता महिला समिति स्वयं सहायता समूह, भोनाडीह, ऑनलाइन व्हाटसएट्प विडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित हुए।

प्रतिवादी पक्ष की ओर से श्री राज कुमार रजक, पणन पदाधिकारी एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी जमुआ के प्रभारी में उपस्थित हुए।

- शिकायतकर्त्ता फूलचंद महतो की पत्नी एवं अन्य शिकायतकर्त्ताओं ने बताया कि उनको प्रतिमाह एक रूपये प्रति कि0ग्रा0 की दर से मिलने वाला राशन में प्रति यूनिट आधा कि0ग्रा0 कम दिया जाता है।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के तहत् मिलने वाला राशन अबतक मात्र दो बार ही मिला है, अप्रैल, मई 2020 एवं दिसम्बर 2021 में मिला है उसके बाद अबतक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना से किसी तरह का खाद्यान उपलब्ध नही कराया गया है।
- द्वितीय पक्ष से श्रीमती प्यासी देवी, जनवितरण प्रणाली विक्रेता, माता महिला समिति स्वयं सहायता समूह, भोनाडीह, ने बताया कि लाभुकों को करके प्रत्येक माह 5Kg राशन दिया जाता है।
- कार्डधारी श्री महेन्द्र प्रसाद वर्मा एवं श्रीमती अमिया देवी, का कहना है कि श्रीमती प्यासी देवी सप्ताह में एक बार ही दुकान खोलती है, और कार्डधारियों से अभद्र व्यवहार करती है।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-0651-2252267

(5)

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिनिधि श्री राजकुमार रजक प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा प्रतिवेदन दिया गया एवं बयान दिया गया कि उनके द्वारा 16 फरवरी को स्थल निरीक्षण किया गया और शिकायतकर्त्ताओं से पूछताछ किये और जाँच प्रतिवेदन के साथ आयोग मे उपस्थित हुए। जाँच रिपोर्ट से कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया और उससे संतोष व्यक्त नहीं किया गया है। उनको पुनः आदेश दिया गया कि शिकायतकर्ता के शिकायत का जाँच करके प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। जिसमें प्रत्येक शिकायतकर्त्ता के द्वारा की गई टिप्पणी अंकित हो। साथ ही जनवितरण प्रणाली विक्रेता, माता महिला समिति स्वयं सहायता समूह, दुकान की सम्पूर्ण जाँच एवं रजिस्टर जाँच और दुकान की जाँच करके स्पष्ट प्रतिवेदन आयोग को दिनांक–15.03.2022 उपलब्ध कराया जाय। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–15.03.2022 को निर्धारित की जाती है। 24.02.2022 **(हलधर महतो)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(डॉ0 रंजना कुमारी)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पत्रांक 48 दिनांक 12/02/22 को स्थान ... को संज्ञान में रखते हुए सुनवाई की तिथि 28/03/22 निर्धारित किया गया 14/03/22	

C:\Users\Rachna\Dropbox\rachana\Court Notice.docx9

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-0651-2252267

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	आज दिनांक–28.03.2022 को केस संख्या–02 / 2022 की सुनवाई की गई। प्रथम पक्ष की ओर से श्री फूलचंद महतो एवं अन्य शिकायतकर्त्ता ग्राम–भोनाडीह, पो0–चरघरा, पं0–जरीडीह, प्रखण्ड–जमुआ, गिरिडीह, अनुपस्थित रहें। द्वितीय पक्ष की ओर से श्री राजकुमार रजक, पणन पदाधिकारी एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी जमुआ के प्रभारी आयोग न्यायालय में उपस्थित हुए। श्री राजकुमार रजक, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, के द्वारा बताया गया कि आदेश के अनुसार स्थल निरीक्षण का जाँच, और शिकायतकर्त्ताओं से भी पूछताछ किया गया था। विषयांकित वाद पर जाँच की जा रही है, लेकिन शिकायतकर्त्ताओं के आपसी विवाद के कारण जाँच पूरी नहीं की जा सकी है। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा वाद की सुनवाई की जाँच के लिए 15 दिन का समय आयोग से माँगा गया था। लेकिन 15 दिनों बाद की सुनवाई के दौरान कोई भी जाँच प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध नहीं कराया गया। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, को पुनः आदेश दिया जाता है कि शिकायतकर्ताओं के शिकायत का जाँच करके प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराया जाय। जिसमें जनवितरण प्रणाली विक्रेता, माता महिला समिति स्वयं सहायता समूह, के रजिस्टरों की जाँच और दुकान की जाँच स्पष्ट अंकित हो। आदेश दिया जाता है कि जाँच प्रतिवेदन के साथ आयोग न्यायलय में दिनांक–12.04.2022 को उपस्थित होंगे। अन्यथा आपके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–12.04.2022 को निर्धारित की जाती है। Shem 28.3.22 (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। Rajani 28/3/2022 (डॉ0 रंजना कुमारी) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। अपरिहार्य कारणों से सुनवाई की तिथि 21/04/2022 C:\Users\Rachna\Dropbox\rachana\Court Notice.docx18	06/04/2022

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-0651-2252267

(6)

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। नियमानुसार कार्यवाई हेतु आदेश दिया जाता है एवम् प्रतिवेदन आयोग कार्यालय को समर्पित करेंगे।

Rejan
13/04/2022

अभिलेख उपस्थापित।

प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, जमुआ का प्रतिवेदन आयोग को प्राप्त है, जिसका अवलोकन किया गया। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, जमुआ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन में माता महिला समिति के विवादित होने का उल्लेख है। किन्तु शिकायतकर्ता के शिकायत में लगाये गये आरोपो के संबंध में प्रतिवेदन में कोई उल्लेख नहीं है।

आदेशित किया जाता है कि सुनवाई की अगली तिथि को जिला आपूर्ति पदाधिकरी, गिरिडीह अथवा प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, जमुआ शिकायत पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के संबंध में स्पष्ट जाँच प्रतिवेदन के साथ आयोग के समक्ष उपस्थित होंगे। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक– 28.04.2022 को निर्धारित की जाती है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को नोटिस निर्गत किया जाय।

Rejan
22/04/22.

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आज दिनांक–28.04.2022 को वाद सं0–02/2022 के मामले में सुनवाई की गईः–

अभिलेख उपस्थापित की गई।

प्रतिवादी अनुपस्थित। प्रतिवादी की ओर से प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, जमुआ का पत्रांक–79 दिनांक–27.04.2022 को प्राप्त है, जिसमें उनके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का उल्लेख करते हुए आयोग न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त की गई एवं उनके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचनोपरान्त पर तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है। पत्र के साथ संलग्न जाँच प्रतिवेदन के अवलोकनोपरान्त यह पाया गया कि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में मात्र संबंधित SHG के विवादित रहने के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है। मूल शिकायत के बारे में किसी प्रकार का प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया।

अतः उक्त मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–14.06.2022 निर्धारित की जाती है। आदेशित किया जाता है कि मूल शिकायत के संबंध में जाँच प्रतिवेदन दिनांक–10.06.2022 तक आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। एतद् संबधी नोटिस निर्गत किया जाय।

18.5.22

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

18/05/22

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

(8)

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
14.06.2022	अभिलेख उपस्थापित। मामले की सुनवाई डिज़िटल की गई। द्वितीय पक्ष की ओर से प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, जमुआ उपस्थित। प्रथम पक्ष के श्री फूलचंद महतो द्वारा बताया गया कि वे स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में इलाजरत हैं, इसलिये वे सुनवाई में हिस्सा नहीं ले सकते। अतः इस वाद की सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–05.07.2022 को निर्धारित की जाती है। अगली निर्धारित तिथि की सूचना उभयपक्ष को दें। अभिलेख दिनांक–05.07.2022 को उपस्थापित करें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
05.07.2022	आज की सुनवाई डिजिटल माध्यम से की गई। अभिलेख उपस्थापित। उभयपक्ष उपस्थित। सुनवाई में उपस्थित पणन पदाधिकारी, जमुआ का कहना है कि कुल 37 व्यक्तियों द्वारा शिकायत की गई थी, जिसमें से 5 व्यक्तियों ने अपनी लिखित शिकायत वापस ले ली है। प्रथम पक्ष के फूलचंद महतो वगै0 द्वारा बताया गया कि उनके शिकायत का समाधान नहीं किया गया है। यह भी कि जिन 5 लोगों द्वारा शिकायत वापस लेने की बात कही जा रही है, वे किसी दबाव में ऐसा कहे होंगे। श्रीमती देवकी देवी द्वारा कहा गया कि मेरे शिकायत वापस लिए जाने का दावा गलत है। आयोग वापस ली गई शिकायतों को इस रूप में ले रहा है, कि हो सकता है कि अनैतिक दबाव डाल कर शिकायतें वापस लेने के लिये बाध्य किया गया हो। आयोग का लक्ष्य है कि हर शिकायतकर्ता की शिकायत दूर हो। सुनवाई के दौरान पणन पदाधिकारी, जमुआ ने माना कि सभी शिकायतकर्ताओं की शिकायतें जाँच के दौरान सही पाया गया, इसलिये जनवितरण प्रणाली वितरक को निलंबित कर दिया गया है। आयोग जनवितरण प्रणाली वितरक के निलंबन को शिकायत का निवारण नहीं मानता। आयोग पणन पदाधिकारी, जमुआ को निर्देश देता है कि वे सभी 37 शिकायतकर्ताओं को जितने माह का राशन नहीं दिया गया हो अथवा कम दिया गया हो, उन सभी शिकायतकर्ताओं को बकाया राशन 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता भी पिछले बकाया राशन को उपलब्ध कराने की ही मांग कर रहे हैं। ऐसे में आयोग पणन पदाधिकारी, जमुआ को निर्देश देता है कि वे सभी शिकायतकर्ताओं को दिये जाने वाले राशन में की गई कटौती की भरपाई करते हुए उतना राशन उपलब्ध कराएँ, जितने माह का राशन उन्हें नहीं दिया गया है या कम दिया गया है। 15 दिनों के अंदर यदि आयोग के आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो आयोग सभी 37 शिकायतकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा भत्ता देने के लिये आदेश निर्गत करने हेतु बाध्य होगा। दिनांक–22.07.2022 को रखें आदेश की प्रति उभयपक्ष को दें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

(10)

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
22.07.2022	अभिलेख उपस्थापित। उभयपक्ष अनुपस्थित। दोनों पक्षों द्वारा समय की मांग की गई। आयोग यह निर्णय लेता है कि जब आयोग का दल गिरिडीह जिले में वादों के स्थलीय सुनवाई हेतु जायेगा, तब इस मामले की स्थलीय सुनवाई की जायेगी। प्रभारी उभय पक्षों को तिथि एवं समय की सूचना ससमय दे देंगे। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	